



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2009/फाल्गुन 5, 1930

No. 98]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2009/PHALGUNA 5, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 114(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये 1 मार्च, 2009 को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटेरी नियम, 1956 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) कोई व्यक्ति नोटेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात् “आवेदक” कहा गया है) के रूप में नियुक्ति के लिए कोई आवेदन उस न्यायालय या अधिकरण के संबद्ध जिला न्यायाधीश या पीठासीन अधिकारी के माध्यम से जहां वह किसी अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता है, एक ज्ञापन प्ररूप में, समुचित सरकार के ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् “सक्षम प्राधिकारी” कहा गया है) को जिसे वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिहित करे, संबोधित करके, आवेदन कर सकेगा।”;

3. उक्त नियमों के नियम 6 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“सक्षम प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन की

परीक्षा करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदन सभी बाबत पूर्ण नहीं है या आवेदक नियम 3 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं नहीं रखता है या यह कि नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदक का कोई पूर्व आवेदन इस आवेदन की तारीख से पूर्व छह मास के भीतर अस्वीकृत कर दिया गया था इसे संक्षेपतः अस्वीकृत कर देगा और आवेदक को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।”;

4. उक्त नियमों के नियम 7 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन नियत समय के भीतर आवेदक को आक्षेपों यदि कोई हों, के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देने के पश्चात् समुचित सरकार को यह सिफारिश करते हुए कि आवेदक को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात किया जाए, रिपोर्ट देगा।”;

5. उक्त नियमों के नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“7क. साक्षात्कार बोर्ड का गठन.—(1) समुचित सरकार अनुज्ञात करती है कि आवेदक को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपसंजात होने के लिए कहा जाए, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को सूचित करेगा कि वह साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष नोटेरी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवेदक की सक्षमता का निर्णय करने के लिए नियत तारीख, समय और स्थान पर उपसंजात होगा। साक्षात्कार बोर्ड समुचित सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार द्वारा विधिक कार्य से संबंधित अपने अधिकारियों में से एक तीन सदस्यीय

साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। साक्षात्कार बोर्ड का अध्यक्ष उस सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का नहीं होगा।

7ख. संक्रमणकालीन उपबंध.—(1) 28 फरवरी, 2009 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी ज्ञापन और वे जो लंबित हैं, पर कार्रवाई/परीक्षा नोटेरी (संशोधन) नियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी;

(2) नए ज्ञापन केवल 1 जुलाई, 2009 को या उसके पश्चात् प्रस्तुत किए जाएंगे।”।

6. उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (1) में “सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, समुचित सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी और निम्नलिखित कार्रवाई करेगी -”, शब्दों के स्थान पर “साक्षात्कार बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होने पर, समुचित सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी और निम्नलिखित कार्रवाई करेगी -” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5(271)2000-एन.सी.]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं.का.नि.आ. 324 तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का.नि. 370 (अ) तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547 (अ) तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17 (अ) तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262 (अ) तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630 (अ) तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172 (अ) तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460 (अ) तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 464 (अ) तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296 (अ) तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 501 (अ) तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73 (अ) तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86 (अ) तारीख 14 फरवरी, 2007 और सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित, सा.का.नि. 319 (अ) तारीख 1 मई, 2007 सा.का.नि. 686 (अ) तारीख 31 अक्टूबर, 2007, सा.का.नि. 51 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2008, सा.का.नि. 636 (अ) तारीख 3 सितम्बर, 2008 और सा.का.नि. 764 (अ) तारीख 3 नवम्बर, 2008 द्वारा उनका संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2009

G.S.R. 114(E).— In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1 (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the 1st day of March, 2009.

2. In rule 4 of the Notaries Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(1) a person may make an application for appointment as a notary (hereinafter called “the applicant”), through the concerned District Judge or the Presiding Officer of the Court or Tribunal where he practises as an Advocate, in the Form of memorial addressed to such officer or authority (hereinafter referred to as the “competent authority”) of the appropriate Government as that Government may, by notification in the Official Gazette, designate in this behalf.”;

3. In rule 6 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) the competent authority shall examine every application received by him and if he is satisfied that the application is not complete in all respects or the applicant does not possess the qualifications specified in rule 3, or that any previous application of the applicant for appointment as a notary was rejected within six months before the date of the application, shall reject it summarily and inform the applicant accordingly.”;

4. In rule 7 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:

“(1) the competent authority shall, after holding such inquiry as he thinks fit and after giving the applicant an opportunity of making his representations against the objections, if any, received within the time fixed under sub-rule (2) of rule 6, make a report to the appropriate Government recommending that the applicant may be allowed to appear before the Interview Board.”;

5. After rule 7 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:—

“7 A. Constitution of the Interview Board.—(1) If the appropriate Government allows that the applicant may be asked to appear before the Interview Board, the competent authority shall inform the applicant to appear before the Interview Board, on the date, time and place fixed, to judge the competency of the applicant for being appointed as a Notary. The Interview Board shall submit its recommendations to the appropriate Government.

(2) For the said purpose, a three members Interview Board shall be constituted by the

appropriate Government from amongst its officers dealing with legal matters. The Chairperson of the Interview Board shall not be an officer below the rank of Joint Secretary of that Government.

7B. Transitional provision.—(1) All the memorials received by the Competent Authority till 28th February, 2009 and which are pending shall be processed/examined in accordance with the provisions of the rules as amended by the Notaries (Amendment) Rules, 2009.;

(2) The fresh memorials shall only be submitted on or after 1 st July, 2009.”

6. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (1), for the words, “On receipt of the report of the Competent Authority the appropriate Government shall consider the report and shall —”, the words, “On receipt of the recommendations of the interview board the appropriate Government shall consider the recommendation and shall—.”

[F.No. 5 (271)2000-NC]

R. RAGUPATHI, Jt. Secy.

Note:— The principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324 dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E) dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547(E) dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E) dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262(E) dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630(E) dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172(E) dated the 12th March, 2001, G.S.R. 330(E) dated the 9th May, 2001, GSR 460(E) dated the 25th June, 2001, G.S.R. 464(E) dated the 9th June, 2003, GSR 464(E) dated the 9th June, 2003, G.S.R. 296(E) dated the 19th May, 2006, G.S.R. 501(E) dated the 24th August, 2006, G.S.R. 73(E) dated the 9th February, 2007, G.S.R. 86(E) dated the 14th February, 2007, G.S.R. 319(E) dated the 1st May, 2007 read with G.S.R. 330(E) dated the 8th May, 2007, G.S.R. 686(E) dated the 31st October, 2007, G.S.R. 51 (E) dated the 23rd January, 2008, G.S.R. 636(E) dated the 3rd September, 2008, and G.S.R. 764(E) dated the 3rd November, 2008.